न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 95 / 2018

आरसीएमएस नम्बर– 2018 / 00456

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
गुलाबबाई पत्नी स्व0 खींवराज जाति ब्राहम्ण निवासी बिठौड़ा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी बिलापुर तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र		1 रणजीत पुत्र स्व0 रूपचंद 2 नन्दकिशोर पुत्र स्व0 रूपचंद 3 राजु पुत्र स्व0 रूपचंद जातिगण श्री गौड़ ब्राहम्ण निवासी बिठौड़ा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी श्री गौड टी–हाउस, बेलापुर, तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र 4 ग्राम पंचायत बिठौड़ा कला जरिये सरपंच तहसील मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांक : 9/9/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बिठौड़ा कलां द्वारा मिसल संख्या 03 / 1983–84 में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 04.03.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रूपचंद पुत्र जसराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी विवादित भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि हैं। उक्त भूमि पर पैतृक मकान था, जिसमें पूर्व में प्रार्थीया के पति खींवराज व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रूपचंद संयुक्त रूप से काबिज थे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रूपचंद द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए उक्त मकान का पट्टा स्वयं के नाम जारी करवाया, जो विधि विरूद्ध हैं। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता ने ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें उक्त मकान पुश्तैनी होना अंकित करते हुए पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा परिवार के सदस्यों की सहमति लिए बिना ही विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जारी किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं ग्राम पंचायत बिठौड़ा कला द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि निगरानीकर्ता ने मृतक रूपचन्द की कोइ वंशावली दर्शित नहीं की, इस प्रकार निगरानीकर्ता की निगरानी संदिग्ध हैं तथा बदनियतिपूर्ण आशय से प्रस्तुत की गई हैं। जसराज के छगनलाल, ताराराम, रूपचन्द पुत्र हैं। ताराराम की मृत्यु हो चुकी है, उसके दो पुत्र राजेन्द्र एवं सुरेन्द्र हैं। छगनलाल जीवित है। मृतक के समस्त रिश्तेदार नैसेसरी एवं प्रोपर पार्टी थे, जिन्हे निगरानी में पक्षकार नहीं है, इसके अभाव में निगरानी पोषणीय नहीं हैं। निगरानी में वर्णित दस्तावेज का मकान मृतक रूपचन्द का स्वअर्जित मकान था, इसलिए निगरानीकर्ता का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता हैं। यदि निगरानीकर्ता की सहदायिका के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है, तो सहदायिका सम्पति में महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता हैं। हिन्दू कानून में किसी मिताश्ररा विधि या अन्य से शासित होते है, कोई कथन नहीं किया हैं। सहदायिका सम्पति में महिलाओं को मात्र रहने का अधिकार है, इसके अतितिरिक्त किसी प्रकार के हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी मृतक रूपचन्द की स्वामित्व एवं कब्जासुदा थी। जिसका ग्राम पंचायत द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी खारिज़ योग्य हैं। विवादित आराजी किसी भी रूप में पैतृक नहीं हैं। इसी भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय के समक्ष भी वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन हैं। इस कारण निगरानी चलने योग्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानी कर्ता ने अपनी निगरानी याचिका का मुख्य आधार यह लिया है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें निगरानीकर्ता के पति एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात निगरानीकर्ता का हित निहित हैं। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रूपचन्द ने ग्राम पंचायत बिठौडा कला के समक्ष दिनांक 16.06.1983 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिढ़ीयों से कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इससे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी हैं। निगरानीकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है, उसमें अंकित स्व0 जसराज की वंशावली को न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया हैं। पंचायत की प्रक्रिया में भी उक्त आराजी को पुश्तैनी मानते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की हैं। पंचायत रेकर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में रखी गई हो अथवा जसराज के वारिशान द्वारा पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में जारी करने में किसी प्रकार की सहमति व्यक्त की गई हो। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा समुचित

अति. जिला कलेक्टर, चित्तौ

जांच किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया जाना पाया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत बिठौड़ा कलां द्वारा मिसल संख्या 03/1983–84 में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 04.03.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रूपचंद पुत्र जसराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत बिठौड़ा कला को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली